

सेवा में

उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी / जिला कृषि अधिकारी /
सहायक परियोजना अधिकारी / विशयवाद विशेषज्ञ,
.....जिला.....हि0 प्र0 ।

लाभार्थी का	पासपोर्ट
आकार का	फोटो

विषय : सौर सिंचाई योजना के अन्तर्गत 1/2/3/5/7.5/10 HP (सरफेस/सबमर्सिबल) क्षमता का एस पी वी सौर ऊर्जा आधारित जल उठाऊ-पम्प संयंत्र स्थापना के लिए अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

मैं.....सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्री.....
.....गांव.....डाकघर.....ग्राम पंचायत.....
.....ब्लाक.....तहसील..... जिला.....हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी
हूँ। मेरी किसान पास बुक के अनुसार.....मलकीयत भूमि है जिसमें से
भूमि फसलों के अन्तर्गत है। मैं उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता द्वारा.....
..... HP (सरफेस/सबमर्सिबल) क्षमता का एस पी वी सौर ऊर्जा आधारित
(मेन्यूअल/ऑटो ट्रेकर माउन्टिंग ढांचे की पद्धति का) जल उठाऊ-पम्प संयंत्र स्थापित करवाना चाहता हूँ।
मेरे पास जल-स्रोत उपलब्ध है/नहीं है। उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता स्वीकृत
करने के लिए बतौर किसान मेरा विवरण निम्नलिखित है :-

क	प्रार्थी का विवरण	
	प्रार्थी की श्रेणी [लघु/सिमान्त/वृहद किसान]	
	प्रार्थी का वर्ग [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य]	
	प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे/ऊपर से सम्बन्ध रखता है { बी.पी.एल./ ए.पी.एल.}	
	आधार कार्ड नं०	
ख	बैंक खाता विवरण	
	किसान का नाम [बैंक रिकार्ड के अनुसार]	
	खाता संख्या	
	बैंक का नाम तथा बैंक शाखा का पता	
	आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित	
ग	भूमि सम्बन्धी विवरण	
	कुल भूमि; किसान पास बुक के अनुसार	
	फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	
	{क} सिंचित क्षेत्र	
	{ख} असिंचित क्षेत्र	
{ग} अन्य घासनी इत्यादि		
घ.	उपलब्ध पानी का स्रोत जिस पर उपरोक्त योजना प्रस्तावित है का पूर्ण विवरण सहित ब्यौरा	

	पानी का स्रोत उपलब्ध न होने की स्थिति में जल स्रोत विकसित करने के लिए विभाग की अन्य योजना के अन्तर्गत प्रार्थी के आवेदन पत्र/स्वीकृति इत्यादि का योजना के नाम सहित विवरण :-	
ड.	असिंचित क्षेत्र जहां उपरोक्त योजना प्रस्तावित है; है0/ बीघा	
	{क} इस क्षेत्र में वर्तमान में लगाई जा रही फसलों का ब्यौरा ।	
	फसल का नाम	
	क्षेत्रफल	
	{ख} सिंचाई के बाद लगाई जाने वाली फसलों का ब्यौरा	
	फसल का नाम	
	क्षेत्रफल	
च.	योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा जल उठाऊ पम्प संयंत्र स्थापना हेतु (सोलर सरफेस/सम्बरसिबल पम्प का विवरण हॉर्सपावर सहित) वित्तीय सहायता के बारे में विवरण :- 1. लिफ्ट हेतु कुल हैड.....मी. 2. राईजिंग मैन की कुल लम्बाई.....मी. 3. हॉर्सपावरHP	

1. मैं सत्यापित करता हूँ कि इस सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्र का कृषि सिंचाई एवं उच्च तकनिक फॉर्म मशीनिकरण कार्यों हेतु उपयोग करूंगा तथा आगामी 10 वर्षों तक उक्त संयंत्र का किसी अन्य को बिक्री या हस्तांतरण इत्यादि नहीं करूंगा।
2. मैं आपकी संस्था के माध्यम से आपूर्तिकर्ता एवं विभाग के साथ स्थापित त्रि-पार्टी अनुबंध की शर्तों का पालन करूंगा। संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक जल स्रोत जैसे बोरवेल/संग्रहण ढांचे की व्यवस्था मेरी स्वयं की लागत पर उपलब्ध कराई जायेगी।

उपर दी गई सूचना पूर्ण रूप से ठीक है तथा मैं योजना में दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे उपरोक्त दर्शायी गई मदों हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की जाये।

भवदीय

किसान के हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

टेलीफोन/मोबाईल न0.....

निम्नलिखित संलग्न प्रतियां :-

- 1 भू0 अभिलेख की मूल प्रति
- 2 राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति
- 3 आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति
- 4 कुल भूमि प्रमाण पत्र
- 5 विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- 6 कृषक शपथ पत्र (50रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प)

7	सौर सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	<ol style="list-style-type: none"> 1. इस योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु 85 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है। 2. मध्यम/बड़े वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है। 3. सामुदायिक स्तर पर (कम से कम 5 किसानों के समूह) पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु सभी वर्ग के किसानों के लिए 85 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान है। 	आवेदन की कोई फीस नहीं है	जोत-क्षेत्र जिसे सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी हो, का ततिमा एवं जमाबन्दी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक खाते की प्रति।	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकॉगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
---	------------------	--	---	--------------------------	---	---	-------